[2021] 1 एस. सी. आर 36

एस. आर. ई. आई. इक्यूप्मेन्ट फायनेन्स लिमिटेड।

विरूद्ध

रामजान अली व अन्य।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 6)

05 जनवरी, 2021

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, न्यायाधीशगण]

केन्द्रिय मोटरयान नियम 1989 नियम 61- अवक्रय समझौते का पर्यावसान- अवक्रय समझौते में वाहन के मूल स्वामी के साथ अपीलार्थी ऋण दाता द्वारा प्रवेश करना- वाहन का पंजीयन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र में हाइपोथेकेशन के संबंध में एक प्रविष्टि की गई- मूल स्वामी की ओर से ऋण की किस्त का भुगतान करने में विफल था- अपीलार्थी ने मध्यस्थ को भेजे विवाद में अपीलार्थी के पक्ष में 2597053/- की राशि का पंचाट पारित किया- इसके पश्चात मूल स्वामी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालया (आर.टी.ओ.) बस्ती के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के नाम की प्रविष्टि को उस व्यक्ति के रूप में रदद किया जाये जिसके साथ वाहन का हाइपोथेकेशन किया गया था

परिणामतः वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में अपीलार्थी के नाम की प्रविष्टि रदद की गयी और फार्म 23 में नया पंजीयन प्रमाण पत्र मूल स्वामी के नाम पर बिना किसी हाइपोथेकेशन की प्रविष्टि के जारी किया गया। आर.टी.ओ. बस्ती के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्यार्थी क्रमांक 1 को वाहन के हस्तातंरण के संबंध में पंजीयन प्राधिकरण सीतापुर के द्वारा जारी किया गया था- जब दिनांक 09.01.2019 को वाहन को चार व्यक्तियों द्वारा कब्जे में लिया गया था तो प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के द्वारा धारा 364 और 392 भादस0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कराई गई। पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर लिया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन की रिहाई के आदेश को खारिज करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाहन की रिहाई के

संबंध में प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचाट प्रस्तुत किया गया- मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलाथी के प्रकरण को देखते हुये पाया कि मूल स्वामी व द्वितीय स्वामी के द्वारा फर्जी दस्तावेज, आर.टी.ओ. अधिकारी बस्ती से मिलीभगत कर बनाया गया है, और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई आदेश खारिज किया गया- इसी बीच अपीलार्थी ने आर.टी.ओ. बस्ती के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पक्ष में पंजीयन प्रमाण में हुये Hypothecation की रद्दकरण की प्रविष्टि फर्जी दस्तावेजो पर आधारित है- आरटीओ बस्ती द्वारा दिनांक 29.06.2019 को ऋण अनुबंध अपास्त करता हुआ आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने उसके वाहन की रिहाई का अपास्त हुआ आवेदन धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय द्वारा वाहन की रिहाई के संबंध मे अनुमति प्रदान की गई एवं निर्देश दिया गया कि वाहन को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पक्ष में रिहा किया जाए- अपील होने पर अभिनिर्धारित किया गया कि दिनांक 29.06.2019 का आदेश पंजीयन प्राधिकरण द्वारा धारा 55(5) के अधिनियम की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था। उक्त आदेश का विधिक परिणाम यह रहा कि फार्म 23 के अंतर्गत आर.टी.ओ. बस्ती द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें मात्र मूल स्वामी का नाम प्रदर्शित हो रहा था एवं अपीलार्थी के संबंध में कोई प्रविष्टी नहीं थी, को अमान्य किया गया-इसके परिणाम स्वरूप समस्त पश्चात्वर्ती कृत्य, प्रत्यार्थी क्रमांक 1 को जारी आर.टी.ओ. सीतापुर द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र को सम्मिलित करते हुये अमान्य हुये- यद्यपि प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा याचना की गई की वह सद्भाविक क्रेता है लेकिन तात्विक रूप से वह धोखाधड़ी का लाभार्थी है- उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के पक्ष में वाहन के रिहाई का निर्देश देना त्रुटिपूर्ण था- अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपोषणीय है- अपीलार्थी के पक्ष में वाहन की रिहाई का आदेश- मोटरयान अधिनियम 1988 सेक्शन 55(5)

अपील स्वीकार करते हुये न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्ती से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र में अमरनाथ यादव का नाम पंजीकृत स्वामी के रूप में था, जिस पर कोई भी हाइपोथेकेशन का पृष्ठांकन नहीं था जिस तथ्य पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में भरोसा किया। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि अपीलार्थी के पक्ष में वाहन के हाइपोथेकेशन की प्रविष्टी मूलतः मूल पंजीयन प्रमाण पत्र में थी, जो प्रविष्टी मूल

स्वामी द्वारा प्रस्तुत फर्जी फार्म 35 के द्वारा विलोपित हुई जिसके संबंध में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अपना निष्कर्ष दिनांक 29.06.2019 को दर्ज करते पंजीयन प्रमाण पत्र को रदद् किया जिसको उच्च न्यायालय ने आधारित किया। उच्च न्यायालय के आदेश का आधार अमरनाथ यादव के नाम पर पंजीयन का प्रमाण पत्र था इस तथ्य पर विचार किये बिना कि 29.06.2019 के दिनांकित आदेश द्वारा प्रमाण पत्र रदद कर दिया गया और अमान्य घोषित कर दिया गया, उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के पक्ष में फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय द्वारा वाहन के रिहाई के संबंध में प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के पक्ष में पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था, जिसके नाम पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सीतापुर में वाहन पंजीकृत था, किन्तु आदेश दिनांक 29.06.2019 के आलोक में अमरनाथ यादव के पक्ष में पंजीयन व अनापत्ती का प्रमाण पत्र दिनांक 16.08.2019 अपास्त हो चुका था, अतः प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को रिहा कराने का आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था, अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पोषणीय नहीं है, अपीलार्थी के पक्ष में वाहन की रिहाई को निर्देशित किया गया। (पद 22, 23) (50-ए-जी)

मनोज व अन्य विरूद्ध श्रीराम टी.पी.टी. फायनेन्स कंपनीलिमिटेड और अन्य जेटी 2002 (1) एस.सी. 293- अभिनिर्धारित- अप्रयोज्य- पैरा 18 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनउ के आदेश दिनांक 22.01.2020 अंतर्गत 482/378/407 नं. 4335/2019 निर्णय और आदेश दिनांक 28.01.2020 से-

बृजकिशोर मिश्रा, अभिषेक यादव, विनोद कुमार, रॉबिन खोखर, सुश्री रितु रेनीवाल, कुमार गौरव, बी.एन. दुबे, सुयश प्रधान, आदर्श उपाध्याय, अमितसिंह, अमोल चित्रवंशी, अधिवक्ता उपस्थित।

जस्टिस अशोक भूषण द्वारा पारित निर्णय-

1. याचिका मंजूर-

2. यह अपील कि दिनांक 28.01.2020 के उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ पीठ के द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुये प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 482 सी.आर.पी.सी. के आवेदन को स्वीकार किया है। आपेक्षित निर्णय के द्वारा उच्च न्यायालय ने जेसीवी वाहन क्रमांक यूपी-51805709 के प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के पक्ष में रिहाई को

निर्देशित किया है। अपीलार्थी जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यार्थी क्रमांक 3 है, के द्वारा व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य और घटनाओं जो कि इस अपील का निराकरण किये जाने में आवश्यक हैं, वह हैं-

3.1 कि अमरनाथ यादव ने जे.सी.वी. मशीन खरीदी और अपीलार्थी के साथ वित्तीय ऋण समझौता दिनांक 22.10.2016 का किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा 19,83,360/-रूपये की राशि अमरनाथ यादव (जिसे आगे मूल स्वामी कहा जायेगा) को ऋण के तौर पर प्रदत्त की और वह 46 मासिक किस्तो अर्थात 56300 प्रत्येक माह, दिनांक 15.12.2016 से 15.09.2020 तक ऋण चुकाने के लिये सहमत हुआ।

3.2 मूल स्वामी जिला बस्ती उत्तरप्रदेश के रहवासी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्ती के समक्ष वाहन के पंजीयन हेतु आवेदन दिया। वाहन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्ती द्वारा श्री अमरनाथ यादव का नाम बतौर स्वामी जे.सी.वी. मशीन पंजीयन क्रमांक यूपी-51एटी5709 पर दर्ज हुआ एवं अपीलार्थी के साथ वित्तीय ऋण समझौता हुआ एवं पंजीयन प्रमाण पत्र में अपीलार्थी के पक्ष में प्रविष्टिी की गई थी कि वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में वाहन का हाइपोथेकेशन धारा 51 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत हुआ है, मूल स्वामी से ऋण की कोई भी किस्त अदा करने में विफल रहा और अपीलार्थी द्वारा वित्तीय समझौता 22.10.2016 की शर्तो के अनुसार विवाद मध्यस्थ को दिया। मध्यस्थ द्वारा आर्बिटेशन एण्ड कॉशीगेशन एक्ट 1996 के अनुसार आदेश पारित किया गया और मूल स्वामी को सूचना दी गई। मूल स्वामी मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा। मध्यस्थ द्वारा दिनांक 26.03.2018 को अपीलार्थी मेसर्स श्री इक्यूपमेन्ट फायनेन्स प्रायवेट लिमिटेड के पक्ष में दस प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज से 2597053 रूपये की राशि का पंचाट, सूचना की समाप्ति की दिनांक 07.03.2017 से पारित किया।

3.3 मूल स्वामी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्ती के समक्ष अपीलार्थी के नाम पर वाहन के हाइपोथेकेशन के आवेदन को रदद कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय अधिकारी बस्ती ने दिनांक 16.08.2018 को ऋण दाता के रूप में अपीलार्थी के नाम की प्रविष्टी रदद करने का आदेश जारी किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बस्ती द्वारा अपीलार्थी को कोई जानकारी दिये

बिना, पंजीयन प्रमाण पत्र से अपीलार्थी के नाम की प्रविष्टि को रदद कर दिया और एक नया पंजीयन प्रमाण पत्र मूल स्वामी के नाम पर जारी किया। दिनांक 16.08.2018 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्ती ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल स्वामी के पक्ष में जारी किया जिसमें इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि वाहन अन्य पंजीयन प्राधिकरण सीतापुर के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यार्थी क्रमांक 1 रमजान अली को बेंचा गया।

3.4 क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी बस्ती द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्यार्थी क्रमांक 1 रमजान अली ने पंजीयन का आवेदन परिवहन विभाग सीतापुर को प्रस्तुत किया एवं पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.2018 को रमजान अली के नाम से जारी किया गया। दिनांक 27.08.2018 के पंजीयन प्रमाण पत्र में मैक्माफिनको लिमिटेड के पक्ष में हाइपोथेकेशन की प्रविष्टि का भी उल्लेख किया गया था। प्रत्यार्थी क्रमांक 1 मूल स्वामी से वाहन के हस्तांतरण के उपरांत वाहन का उपयोग कर रहा था।

3.5 दिनांक 09.01.2019 पर वाहन को चार व्यक्तियों द्वारा कब्जे में ले लिया गया था, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 08/2019 अंतर्गत धारा 364 एवं 392 प्रत्यार्थी क्रमांक 1 रमजान अली के द्वारा पुलिस थाने सिथौली जिला सीतापुर में दर्ज किया गया था। पुलिस ने दिनांक 27.01.2019 पर वाहन को जब्त कर लिया। रमजान अली ने सीतापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वाहन क्रमांक यूपी-51एटी5709 के रिहाई के संबंध में के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर के समक्ष उपस्थित हुआ और वाहन के फायनेन्सर होने का दावा करते हुये आपत्ति दर्ज कराई। अपीलार्थी ने आपत्ति में कहा कि पंजीयन प्रमाण पत्र, जो मूल स्वामी अमरनाथ यादव के नाम पर था, में अपीलार्थी के पक्ष में उस व्यक्ति के रूप में प्रविष्टि थी जिसके नाम वाहन का हाइपोथेकेशन किया गया था। मूल स्वामी के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया और मूल स्वामी के खिलाफ व अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 26.03.2018 को पंचाट पारित हुआ। आपत्ति में आगे कहा कि मूल स्वामी और प्रत्यार्थी क्रमांक 1 ने धोखाधड़ी बाले दस्तावेजों को बनाया और क्षेत्रिय अधिकारियों के साथ मिली भगत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.08.2018 प्राप्त किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सीतापुर ने वाहन तथा वाहन का पंजीयन प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के पक्ष में हस्तांतरित किया जो कि अवैध था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान दिया गया कि प्रत्यार्थी क्रमांक 1 एवं अपीलार्थी के मध्य वाहन के

स्वामित्व के संबंध में विवाद है तथापि किसी भी उभयपक्ष के पक्ष में वाहन के रिहाई दी जानी न्यायोचित नहीं है। प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत वाहन की रिहाई के आदेश के साथ साथ अपीलार्थी की आपत्ति को दिनांक 04.05.2019 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया। दिनांक 04.05.2019 को पारित आदेश के पूर्व अपीलार्थी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्ती के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने दावा किया कि अपीलार्थी वह व्यक्ति था जिसके नाम पर वाहन का हाइपोथेकेशन किया गया था और पंजीयन प्रमाण पत्र में अपीलार्थी के पक्ष में हाइपोथेकेशन की प्रविष्टि फर्जी फार्म 35 के आधार पर रदद की गई थी और अनापत्ति प्रमाण पत्र गलत तरीके से मूल वाहन स्वामी के पक्ष में जारी किया गया था।

3.6 क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.04.2019 की प्राप्ति के बाद, दिनांक 30.04.2019, 08.05.2019, 15.05.2019, 01.06.2019, को मूल स्वामी को नोटिस प्रस्तुत किया परंतु मूल स्वामी क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी के समक्ष न ही तो उपस्थित हुआ और न ही जबाव प्रस्तुत किया। सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.04.2019 की अंर्तवस्तु पर तथा अन्य अंर्तवस्तुओं के विचार के उपरांत दिनांक 29.06.2019 को आदेश पारित किया जिसमें उसके द्वारा वित्तीय समझौता एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जोकि क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी बस्ती द्वारा पारित किया गया था को रदद किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्र जो कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बस्ती के द्वारा फार्म 23 जेसीबी वाहन क्रमांक यूपी51एटी5709 और अनापत्ति प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किया। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक बस्ती को भादसं. के अंतर्गत मूल स्वामी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु भी लिखा।

3.7 प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन को छोडने बाबत आवेदन को खारिज करने वाला आदेश दिनांक 04.05.2019 को पारित हुआ। अपीलार्थी को बाद में धारा 482 सीआरपीसी के तहत प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के रूप में शामिल किया गया था।

3.8 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आपेक्षित निर्णय दिनांक 28.01.2020 के तहत धारा 482 सीआरपीसी के आवेदन को स्वीकार किया एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दिनांक 04.05.2019 को पारित हुआ आदेश अपास्त किया एवं निर्देशित किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 रामजन अली के

पक्ष में वाहन को छोडा जाए। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर दिनांक 28.01.2020 को यह अपील प्रस्तुत की गई।

4. दिनांक 27.10.2020 पर नोटिस जारी करते समय निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

"नोटिस जारी, वापसी चार सप्ताह

हम निर्देष देते है कि प्रश्नगत वाहन क्रमांक यूपी-51एटी5709 को प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा आगे हस्तांतरित नहीं किया जायेगा"

5. प्रत्यार्थी क्रमांक 2 व 3 के साथ प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा जबाव में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यार्थी क्रमांक 1 व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वाहन अक्टूबर 2016 में क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय बस्ती में मूल स्वामी अमरनाथ यादव के नाम पर पंजीकृत था, जिसमें अपीलार्थी की प्रविष्टि उस व्यक्ति के रूप में थी जिसको वाहन हाइपोथेकेट किया गया था। मूल स्वामी ऋण की ईएमआई का भुगतान करने में विफल रहा और मामला मध्यस्थ को दिये जाने पर दिनांक 26.08.2018 को मध्यस्थता पंचाट पारित किया गया और मूल स्वामी के विरूद्ध मध्यस्थता पंचाट पारित होने के बाद उसने अपीलार्थी को धोखा देने की योजना बनाई। मूल स्वामी द्वारा जाली दस्तावेज जमा किये जाने पर जिसमें फार्म 35 भी सम्मिलित था, अपीलार्थी की प्रविष्टि पंजीयन प्रमाण पत्र से रदद हुई एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.08.2018 को क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय बस्ती द्वारा जारी किया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय सीतापुर में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के नाम पर वाहन पंजीकृत किया गया था। मूल स्वामी के द्वारा हस्तांतरण पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था। अपीलार्थी को हाइपोथेकेट किया गया वाहन बिना ऋण की पूर्ण अदायगी व अपीलार्थी की सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 जो प्रवंचना का लाभार्थी है वाहन की रिहाई के लिये अधिकारी नहीं था तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पक्ष में की

गई वाहन की रिहाई त्रुटिपूर्ण थी। पुनः उल्लेखित है कि क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय बस्ती द्वारा दिनांक 29.06.2019 का आदेश जिसमें पंजीयन प्रमाण पत्र जो कि फार्म 23 में जारी किया गया था व अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको रदद किया जा चुका था, के बाबजूद प्रत्यर्थी क्र 1 के पक्ष में वाहन का रिहाई आदेश उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया गया था वाहन का हाइपोथेकेशन अपीलार्थी के पक्ष में था तथा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के विरूद्ध पारित पंचाट के कारण वाहन न तो प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को हस्तांतरित किया जा सकता था न और न ही उसको वाहन को प्राप्त करने का कोई अधिकार था।

8. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 सद्भाविक क्रेता है जिसने मूल स्वामी को सात लाख पचास हजार रूपये की राशि का भुगतान किया था और मेसर्से मेग्माफिनकार्प लिमिटेड से दस लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था और वाहन को उच्च न्यायालय उनके पक्ष में उचित रूप से रिहा किया गया था। जिसमें स्वामी द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था अपीलार्थी के पक्ष में हाइपोथेकेशन की कोई प्रविष्टि नहीं थी। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने तत्परता पूर्वक वाहन का हस्तांतरण प्राप्त किया है और वाहन को क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय सीतापुर में अपने नाम से पंजीकृत कराया है। जे.सी.वी. मशीन जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा क्रय किया गया था किसी भी अवक्रय समझौते के तहत नहीं था। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा वाहन की खरीद में कोई त्रुटि नहीं की गई थी, वाहन की खरीद के बाद प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने बीमा कवर प्राप्त कर लिया और जेसीवी के उपयोग के लिये कर का भुगतान पंजीयन प्राधिकरण सीतापुर को कर रहा है। दिनांक 09.01.2019 को वाहन को जबरदस्ती कब्जे में लेने के बाद उसे उचित रूप से प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को रिहा कर दिया गया।

9. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपनिरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई और यह पाया कि मूल स्वामी अमरनाथ यादव की मृत्यु 08.07.2019 को कैंसर से हुई थी। राज्य द्वारा प्रतिउत्तर में प्रस्तुत शपथ पत्र में आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

10. हमारे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया और अभिलेखों का परिशीलन किया है।

11. मोटरयान अधिनियम 1988 में वाहन के पंजीयन, स्वामित्व, हस्तांतरण और अवक्रय समझौते के संबंध में विस्तृत प्रावधान है। इस मामले में अपीलार्थी व मूल स्वामी अमरनाथ यादव के मध्य अवक्रय समझौता दिनांक 22.10.2016 को हुआ था एवं हाइपोथेकेशन के संबंध में पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि वाहन क्रमांक यूपी-51एटी5709 कि की गई थी। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51(1)(3)(4) वर्तमान मामले में सुसंगत है जो इस प्रकार है-

धारा 51 अवक्रय करार, आदि के अधीन मोटरयान के बारे में विशेष उपबंध-

(1) जहां उस मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया जाता है, अवक्रय, पटटा या आडमान करार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात उक्त करार कहा गया है) के अधीन धारित है, वहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उक्त करार के अस्तित्व की बात रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्ट करेगा।

(3) उपधारा (1) या उप धारा (2) के अधीन की गई कोई प्रविष्टि संबंद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रिय सरकार विहित करे, आवेदन किये जाने पर उक्त करार की समाप्ति का सबूत दिये जाने पर 1(अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी) द्वारा रद्द की जा सकेगी 2(और इस निमित सूचना, मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजी जाएगी, यदि अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है)।

(4) जो मोटरयान उक्त करार के अधीन धारित है उसके स्वामित्व के अंतरण की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति की लिखित सहमति से ही की जाएगी जिसका नाम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में ऐसे व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है जिसके साथ रजिस्ट्रीकृत स्वामी ने उक्त करार किया है न कि अन्यथा।

12. अभिलेख पर आये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जब वाहन शुरू में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्ती में पंजीकृत था तब मूल स्वामी का नाम अमरनाथ यादव और अपीलार्थी के नाम पर प्रविष्टी पंजीयन प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति के रूप में थी जिसके साथ वाहन का हाइपोथेकेशन किया गया था। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में अवक्रय समझौते आदि की समाप्ति से संबंधित है नियम 61 जो यहां सुसंगत है वह इस प्रकार है कि-

नियम 61. अपक्रय समझौते आदि की समाप्ति-

(1) धारा 51 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवक्रय, पट्टा या हाइपोथेकेशन के समझौते की समाप्ति की प्रविष्टि करने के लिये एक आवेदन फार्म 35 में किया जायेगा, जिस पर वाहन के पंजीकृत स्वामी और फायनेंसर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किये जायेगें, और इसके साथ पंजीयन प्रमाण पत्र, उपयुक्त दस्तावेज होगें व नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क होगा।

(2) नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिये आवेदन अंतर्गत धारा 51(5) फार्म 36 का होगा और नियम 81 के अनुसार शुल्क देय होगा।

(3) जहां पंजीकृत स्वामी ने ऋण दाता को पंजीयन प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया है या फरार हो गया है, तो पंजीयन प्राधिकरण पंजीकृत स्वामी को फार्म 37 का नोटिस जारी करेगा।

13. वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में अपीलार्थी के नाम की प्रविष्ट को मूल रूप से मूल स्वामी द्वारा फार्म 35 जमा करके रदद कर दिया गया था और उसके बाद फार्म 23 दिनांक 14.08.2018 में नया पंजीयन प्रमाण पत्र अमरनाथ यादव के नाम पर मूल स्वामी रूप में बिना किसी हाइपोथेकेशन की प्रविष्टि के जारी किया गया था। क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय बस्ती द्वारा पंजीयन प्राधिकरण सीतापुर के अधिकार क्षेत्र में रमजान अली को वाहन के हस्तांतरण के लिये दिनांक 16.08.2018 को प्रमाण पत्र जारी किया गया था। धारा 364 और 392 के अंतर्गत एफ.आई.आर. क्र. 08/2019 में, वाहन को दिनांक 27.01.2019 पर जब्त कर लिया गया था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिहाई के लिये प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के आवेदन को खारिज करते हुये अपने आदेश में अपीलार्थी के दावे पर ध्यान दिया है, जिसने रिहाई के आवेदन पर आपत्ति दर्ज की थी। दिनांक 26.03.2018 के पंचाट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी रखा गया था, जहां पाया गया था कि अपीलार्थी के पक्ष में बकाया राशि 25,97,053/- रूपये है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी के मामले पर पाया कि मूल स्वामी और दूसरे स्वामी ने धोखाधड़ी वाले दस्तावेज बनाये थे और क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय बस्ती के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर दिनांक 16.08.2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता था।

परिणामतः मुख्य न्यायिक मजिट्रेट ने रिहाई के आवेदन को खारिज कर दिया।

14. क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय बस्ती ने मोटर यान अधिनियम की धारा 55(5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश दिनांक 29.06.2019 पारित किया था दिनांक 29.06.19 का पारित आदेश निम्नलिखित प्रभाव से है

मोटर यान अधिनियम की धारा 55(5)- यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण ऐसे दस्तावेजों के आधार पर किया तथ्यों के ऐसे व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है जो किसी सारवान विशिष्ट के संबंध में मिथ्या थे या उस पर सुदभृत इंजिन संख्यांक या चेसिस संख्यांक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्टि ऐसे संख्यांक से भिन्न हैं तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी (उसके उस पते पर जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में दियाय हुआ है, रसीदी रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजकर) स्वामी को ऐसा अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात् जो वह करना चाहे और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा।

15. दिनांक 29.06.2019 का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था इस आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बस्ती के आदेश का सुसंगत अंतिम पद निम्नानुसार हैः

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री अमरनाथ यादव ने बेइमान तरीके से धोखा देने के इरादे से धोखाधडी से फार्म 35 का निर्माण किया था और इस तरह के नकली दस्तावेज के आधार पर उपरोक्त वाहन का ऋण अनुबंध रद्द कराने में कामयाब रहे थे। यह कानून और मोटर यान अधिनियम की स्थापित प्रस्थिति है कि एक कृत्य जो शुरू से ही अमान्य है, समय के प्रवाह के साथ कभी भी विधिसम्मत नहीं हो सकता है। **(Quad initio vitionism est non protest tractu temporis convales cere)** उपरोक्त उक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री अमरनाथ यादव ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए धोखाधडी से बनाए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत किया था और इस तरह वाहन क्रमांक यूपी51एटी5709 के संबंध में ऋण समझौते को रद्द करने के लिए दिनांक 19.06.2018 का आदेश और दिनांक 16.08.2018 का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे। इस प्रकार मैं धारा 55(5) केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में रद्द किया ऋण समझौता एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र को अपास्त करता हूं और आज दिनांक

29.06.2019 से इस कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन प्रमाणपत्र अंतर्गत फार्म 23 उक्त वाहन के संबंध में और अनापत्ति प्रमाणपत्र को शून्य माना जाएगा। सीतापुर के पंजीयन अधिकारी को इस संबंध में अनुरोध पत्र इस आशय का भेजा गया है कि वह अपने कार्यालय का आदेश, पूर्व में पारित इस कार्यालय के आदेश के आधार पर रदद करें एवं इस कार्यालय को अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस भेजे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक बस्ती के साथ पत्राचार किया जाए कि आई.पी.सी. की उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत श्री अमरनाथ यादव के द्वारा किये गये कृत्य पर प्रकरण दर्ज करें। तदानुसार फाइनेंसर् श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड का दिनांक 30.04.2019 का आवेदन अंततः उपरोक्त विधि के निष्कर्ष व प्रावधान के आलोक में निपटाया जा रहा है।

मोटर यान विभाग बस्ती

16. पंजीयन प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि फार्म 35 जिसके आधार पर अपीलार्थी के नाम की प्रविष्टि उस व्यक्ति के रूप में की गई थी जिसको वाहन का hypothecation किया गया था, उन्हें धोखाधडी से हटा दिया गया था। सहायक मंडल परिवहन अधिकारी ने दिनांक 16.08.2016 के आदेश को तथा वाहन के अनापत्ति प्रमाण पत्र को रदद कर दिया और इस प्रकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्ती द्वारा दिये गये पंजीयन फार्म 23 के अन्दर पंजीयन प्रमाण पत्र जो कि प्रत्यार्थी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिउततर में शपथ पत्र के साथ एनेक्चर सीए-2 के रूप में दायर किया गया है, को भी रद्द कर दिया है। समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाहियां जिसमें प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.08.2018 के आधार पर प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.2018 भी स्वतः अमान्य माना जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बस्ती के दिनांक 29.06.2019 के आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त या स्थगित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पद क्रमांक 10 में सहायक मंडल परिवहन अधिकारी के आदेश के बारे में उल्लेख किया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिनांक 29.01.2019 का आदेश आधारहीन है और और सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्ती का कृत्य भी अपमान जनक है। हम यह देखने में विफल है किस आधार पर उच्च न्यायालय निम्नलिखित टिप्पणियां करने के संबंध में आगे बढ़ाः

"10..... दिनांक 29.01.2019 का आदेश आधार हीन है एवं ए.आर.टीओ. बस्ती की कार्यवाही भी अपमान जनक है"

17. यद्यपि उच्च न्यायालय कि यह टिप्पणी सही थी कि सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्ती के कार्यालय का रिकार्ड उनके अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों को उपलब्ध कराया गया था, लेकिन सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी, जो कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30.04.2019 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास उपलब्ध अन्य रिकार्ड जिसमें मूल स्वामी को जारी किये गये चार नोटिस शामिल थे, जिन्हें सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने अपने आदेश में अभिलिखित किया है। इससे भी अधिक जब सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के दिनांक 29.06.2019 के आदेश को न तो रदद किया गया और न ही उस पर रोक लगाई गई, उच्च न्यायालय आदेश के प्रभाव और परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। धारा 55(5) के तहत पंजीयन प्राधिकरण की वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुये 29.06.2019 दिनांकित आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश का विधिक परिणाम यह है कि पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय वस्ती द्वारा प्रपत्र 23 में केवल अमरनाथ यादव का नाम दिखाया गया है जिसमें अपीलार्थी की कोई प्रविष्टि नहीं है, जिसे अमान्य माना गया है।

18. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस न्यायालय के <u>प्रकरण मनोज और अन्य बनाम श्रीराम टीपीटी. फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य JT 2002(1)SC 293,</u> पर भरोसा किया है। जहां इस न्यायालय ने माना है कि वाहन पंजीकृत स्वामी के पक्ष में पंजीकृत किया गया है, हालांकि फाइनेंसर के लिये उचित राहत के लिये सिविल कोर्ट संपर्क करना खुला था। उपरोक्त मामले में, मोटर वाहन अपीलकर्ता मनोज शर्मा के नाम पर पंजीकृत था। उनके आवेदन पर मजिस्ट्रेट ने वाहन को मनोज शर्मा के पक्ष में रिलीज करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया वह वह यह था कि एक सिविल मुकदमा लंबित था जहां यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था जिसके कारण उच्च न्यायालय द्वारा मनोज शर्मा को वाहन जारी करना उचित नहीं था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

"4. श्री राव ने फाइनेंसर की ओर से पेश होते हुए जोरदार ढंग से तर्क किया दिया कि दीवानी मुकदमों की विचाराधीनता और उसमें पारित यथास्थिति के आदेश को देखते हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा श्री मनोज शर्मा को वाहन का कब्जा देने का आदेश पारित करना उचित नहीं था। हमें उपरोक्त विवाद में कोई तथ्य नहीं मिला, चूंकि मजिस्ट्रेट ने आदेश में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि श्री मनोज शर्मा को संपत्ति का कब्जा देने का आदेश दीवानी अदालत द्वारा किये जाने वाले किसी भी बदलाव के अधीन है। यदि फाइनेंसर श्री मनोज शर्मा, जो अभी भी वाहन के पंजीकृत स्वामी हैं, के पक्ष में वाहन को जारी करने के आदेश से व्यथित था, तो फाइनेंसर के लिये हस्तक्षेप के लिये लंबित दीवानी मुकदमे में दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम उच्च न्यायालय के विवादित को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं कि मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांकित 03.04.2000 अनुपालन किया जाए, और यदि श्री मनोज शर्मा, 5 लाख रूपये की सीमा तक एक मुचलका प्रस्तुत करते हैं तो फिर वाहन भी अनुज शर्मा को दिया जा सकता है, जो दीवानी अदालत द्वारा आदेश में किसी भी बदलाव के अधीन होगा।

19. मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि मनोज शर्मा वाहन के पंजीकृत स्वामी थे। वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बस्ती द्वारा फार्म 23 में जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था, साथ ही साथ दिनांक 16.08.2018 को जारी क्लेयरेंस प्रमाण पत्र को भी रद्द कर दिया गया था। वाद का पंजीयन, जोकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सीतापुर से दिनांक 16.08.2018 को मंजूरी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया था, पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 29.06.2019 को रद्द कर दिये जाने के कारण प्रत्यार्थी संख्या 1 को कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार, उपरोक्त मामले को प्रतिवादी क्रमांक 1 के दावे के समर्थन में उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से भरोसा किया गया है।

20. वैधानिक प्राधिकरण में फार्म 23 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्ती द्वारा जारी वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में प्रविष्टि के रूप में की गई है, जिसके पक्ष में वाहन को बंधक बनाया गया था, जोकि मूल पंजीयन प्रमाण पत्र में था, परंतु धोखाधडी से हटा दिया गया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सीतापुर के द्वारा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के नाम पर

जारी किये गए पंजीयन प्रमाण पत्र सहित वाद के सभी कार्य गैर प्रतिष्ठित हो गया। प्रत्यार्थी क्रमांक 1 ने हालांकि दावा किया है कि वह एक वास्तविक क्रेता है, लेकिन तथ्य यह है कि वह धोखाधडी का लाभार्थी है।

21. उच्च न्यायालय इस तथ्य से अनुचित रूप से प्रभावित हुआ कि वाहन की रिहाई करने के लिये आवेदन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया था, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी ने भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिहाई के आवेदन पर आपत्ति दर्ज की है, जिसमें रिहाई पर आपत्ति जताई गई है और खुद को उस व्यक्ति के रूप में वाहन का हकदार होने का दावा किया गया है जिसके साथ वाहन हाइपोथेकेटेड था, जिसकी हाइपोथेकेशन प्रविष्टि को प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में स्थानांतरण की सुविधा के लिये धोखाधडी से हटा दिया गया था, जो अवैध और शून्य था।

22. उच्च न्यायालय में कंडिका 09 में पाया है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बस्ती के कार्यालय से प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीकृत स्वामी के रूप में अमरनाथ यादव के नाम पर था, जिसमें हाइपोथीकेसन का कोई जिक्र नहीं था, जिस तथ्य पर उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में भरोसा किया था। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता के पक्ष में वाहन के बंधक की प्रविष्टि मूल पंजीयन प्रमाण पत्र में थी, जिसे मूल स्वामी द्वारा जाली फॉर्म 35 जमा करके हटा दिया गया था, जो निष्कर्ष सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के दिनांक 29.06.2019 के आदेश में दर्ज किया गया है, जिसमें पंजीयन प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा कंडिका 09 में भरोसा जताया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश का आधार अमरनाथ यादव के नाम पर पंजीयन का प्रमाण पत्र था, जिसे अनुलग्नक सीए-2 के रूप में हमारे समक्ष दाखिल किया गया है। इस तथ्य पर विचार किये बिना कि दिनांक 29.06.2019 के आदेश द्वारा उक्त प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया और शून्य और गैर स्थायी घोषित कर दिया गया था, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में फैसला सुनाया।

23. उपरोक्त किए गए विवेचनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने वाहन को प्रतिवादी क्र. 1 के पक्ष में जारी करने का निर्देश देने में त्रुटि की है, जिसके नाम पर वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सीतापुर में पंजीकृत था, लेकिन दिनांक

29.06.2019 के आदेश को आधारित करते हुए, अमरनाथ यादव (सी.ए.-2) के पक्ष में पंजीयन और दिनांक 16.08.2018 के मंजूरी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था, इसलिये प्रतिवादी क्र. 1 के पक्ष में वाहन को छोडने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार उच्च न्यायालय का यहां आदेश यथावत रखने योग्य नहीं है और इसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। हम आगे आदेश देते हैं कि वाहन न. UP51AT5709 अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया जाए। सीतापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिवादी संख्या 1 से वाहन वापस प्राप्त किया जाए और अपीलार्थी के पक्ष में ऐसे नियमों और शर्तों पर जारी किया जाये जो उचित और सही हों, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर यह कार्य पूरा किया जाए। तद्नुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

स्निग्धा पाठक